



2026:AHC: 10743

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43593/2025

राजबहादुर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सतीश कुमार यादव, सनी प्रकाश

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
- 2- आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी-प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
- 3- याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात उप जिलाधिकारी, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित वाद संख्या 14190 वर्ष 2024, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202402030214190 (राजबहादुर सिंह बनाम केहरी सिंह एवं अन्य), जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 133/134 के अंतर्गत है, को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्णीत करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका दायर किया है।
- 4- उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 5- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का **अंतिम रूप से निस्तारण** प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात उप जिलाधिकारी, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त वाद का अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से **तीन महीने** की अवधि के भीतर निर्णीत करने का निर्देश देते हुए किया जाता है, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।